सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय
की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

"बी" बिंग, छठा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003

File No :- Review/05/JH(Dist.-Gumla)/2024-Coord

आयोग के दौरे के दौरान आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारी आयोग की माननीय सदस्य(श्री निरुपम चाकमा) और माननीया सदस्य(डॉ आशा लकड़ा) के साथ उपस्थित रहे :-

क्र. स.	नाम	पद
1.	श्री सूरत सिंह	निर्देशक
2.	श्री आर.के. दुबे	उपनिर्देशक
3.	श्री पी. के. दास	अनुसंधान अधिकारी
4.	श्री कुशेश्वर साहू	माननीया सदस्य के निजी सचिव
5.	श्री राहुल	अन्वेषक

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

जिला गुमला (झारखण्ड) प्रशासन द्वारा जिले के अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न सुरक्षणों एवं कार्यक्रमों के कामकाज की समीक्षा हेतु दिनांक 05.07.2024 को जिला गुमला में आयोजित बैठक पर संविधान के अनुच्छेद 338क (5)(e) के अंतर्गत रिपोर्ट एवं अनुशंषाए।

Date of Review Meeting: 05.07.2024 at Gumla, Jharkhand

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत किया गया हैं। संविधान के अंतर्गत अथवा तत समय लागू किसी अन्य कानून अथवा सरकार के किसी अन्य आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और निगरानी करना और इन सुरक्षणों के बारे में प्रतिवर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर आयोग ठीक समझें, माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता हैं। इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपति अपनी सभी रिपोर्टो को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उनके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई हैं तो उसे अस्वीकृत के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा। जहाँ कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग, किसी ऐसे विषय से संबंधित हैं जिसका किसी राज्य सरकार से सम्बन्ध हैं, तो ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किये जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो उसे अस्वीकृत के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

2. संवैधानिक आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय सदस्य(श्री निरुपम चाकमा) और माननीया सदस्य(डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में दिनांक 05.07.2024 को जिला गुमला में जिला प्रशासन द्वारा जिले के अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न सुरक्षणों एवं कार्यक्रमों के कामकाज की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गयी। आयोग के माननीय सदस्यो के साथ, श्री सूरत सिंह, निर्देशक, श्री आर.के. दुबे, उपनिर्देशक , श्री राहुल , अन्वेषक एवं श्री पी.के.दास अनुसंधान अधिकारी, प्रमुख एन. सी. एस. टी, क्षेत्रीय कार्यालय-रांची तथा श्री कुशेश्वर साहू, आयोग के माननीया सदस्य के निजी सचिव भी उपस्थित थे।

3. बैठक में जिला प्रशासन गुमला से जिला समीक्षा में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची सलग्रक – 1

4: राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय चापाटोली, विशुनपुर

जिला गुमला की समीक्षा बैठक से पूर्व, सुबह 10.00 बजे दिनांक 05.07.2024 को जिला गुमला के **राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय चापाटोली, विशुनपुर (स्थापना – 07.03.1967)** में निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण का नेतृत्व डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, और श्री निरुपम चाकमा, माननीय सदस्य, एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अन्य अधिकारियों के तत्वावधान में किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के वर्तमान प्रभारी प्रधानाध्यापक, अन्य अध्यापकगण, और छात्राओं ने सक्रिय सहयोग प्रदान कर निरीक्षण को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

<u>विद्यालय का इतिहास एवं वर्तमान स्थिति</u> :- विद्यालय की स्थापना टाना भगत समुदाय के अथक प्रयासों की देन है। इस समुदाय ने आजादी की लड़ाई में महात्मा गाँधी एवं भगवान बिरसा मुण्डा के आदर्शो से प्रेरित होकर देश की आजादी में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उनके इस योगदान को देखते हुए दूर-दराज के अनुसूचित जनजाति समुदाय के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस विद्यालय की स्थापना 07 मार्च 1967 ई० में की गई। इस विद्यालय की

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

स्थापना का उद्देश्य शिक्षा एवं उनके शैक्षणिक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विकास एंव उनकी संस्कृति को बनाये रखने के लिए किया गया | जो कि भगवान बिरसा मुण्डा का उद्देश्य था। तब से यह विद्यालय नारी शिक्षा के महत्व को देखते हुए अनवरत विकास के पथ पर अग्रसर है।

विद्यालय की कुल भूमि 5 एकड़ 39 डिसमिल है। विद्यालय के खाता नंबर 26, 25, 41, 77 और 729, 730, 731 एवं 734 हैं। छात्रावास की कुल लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 290 फीट और 80 फीट है। उच्च विद्यालय की कुल लंबाई 125 फीट एवं चौड़ाई 30 फीट है। उच्च विद्यालय में कुल 5 कमरे हैं, जबकि मध्य विद्यालय में कुल 6 कमरे हैं। छात्रावास में छोटे-बड़े मिलाकर कुल 55 कमरे हैं। विद्यालय में कुल 3 नियमित शिक्षक/शिक्षिकाएं, प्रधानाध्यापक सहित हैं। विद्यालय में 1 लिपिक है। विद्यालय में घंटी आधारित कुल 10 शिक्षक/शिक्षिकाएं हैं। विद्यालय में 1 लैब कोऑर्डिनेटर है। विद्यालय में कुल 1 नियमित रसोईया है और NGO द्वारा नियुक्त 2 रसोईया हैं। विद्यालय में NGO द्वारा नियुक्त 1 नाइट गार्ड है। विद्यालय में कुल 2 झाड़ूदार हैं। विद्यालय में 1 नियमित आदेशपाल और NGO द्वारा नियुक्त 1 आदेशपाल है। विद्यालय का रोल कोड 12045 (मेट्रिक एवं नवम) है। विद्यालय का UDISE कोड 20160106001 है। आठवीं बोर्ड का जैक कोड क्रमशः 120491 और 80401780 है। विद्यालय में 1 हॉल है। शिक्षक/शिक्षिकाओं के आवासों की संख्या 5 है। चतुर्थवर्गीय आवासों की संख्या 5 है। विद्यालय में प्रधानाध्यापक का 1 आवास है। छात्रावास अधीक्षिका का 1 आवास है। विद्यालय में 1 विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष, 1 कंप्यूटर लैब और 1 पुस्तकालय कक्ष है।

छात्राओं की उपलब्धियाँ :- 2023-2024 में, 40 छात्राओं में से 36 ने प्रथम और 4 ने द्वितीय श्रेणी में परीक्षा पास की, जिसमें 8 छात्राओं ने 80% से अधिक अंक हासिल कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। **(उपरोक्त जानकारी सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई है)**

आयोग के निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित समस्याए सामने आयी:

शिक्षकों की कमी: विद्यालय में कुल 3 नियमित शिक्षक/शिक्षिकाएं, प्रधानाध्यापक सहित, हैं, जबकि घंटी **(कालांश)** आधारित 10 शिक्षक/शिक्षिकाएं हैं। शिक्षकों की यह कमी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। नियमित शिक्षकों की संख्या 17 होनी चाहिए, जो पूरी नहीं है।

छात्रावास की स्थिति: छात्रावास का निर्माण विद्यालय की स्थापना 07 मार्च 1967 ई. के साथ ही हुआ था। परंतु इतने वर्षों बाद भी नई इमारत का निर्माण न करके पुरानी इमारत की ही मरम्मत कराई जा रही है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। इसके अलावा, एक कमरे में अत्यधिक संख्या में छात्राओं को ठहराया जा रहा है, जिससे न केवल उनकी स्वच्छता और स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा हैं बल्कि उनकी पढ़ाई और आराम करने की जगह भी सीमित हो रही है। छात्रावास में नई इमारत का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

अन्य समस्याओं में:

1. आवासीय परिसर में महिला शिक्षक नहीं है, केवल प्रधानाध्यापक और एक शिक्षक का आवास है जो दोनों ही पुरुष हैं |
2. शौचालयों की संख्या केवल 2 है, जो छात्रों की संख्या को देखते हुए अपर्याप्त है।
3. दिन और रात दोनों समय कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है।
4. पीने के पानी की स्थिति खराब पाई गई और दो चापानल आयोग के आगमन से पहले ही कराई गई |
5. घंटी आधारित अध्यापकों को 4 से भी कम घंटे मिलते है |

अध्ययन सामग्री की स्थिति: निरीक्षण में पाया गया कि विद्यालय में अध्ययन सामग्री की कमी है। छात्रों के पास पर्याप्त पाठ्यपुस्तकें, नोटबुक्स, और अन्य आवश्यक शैक्षिक सामग्री नहीं है। और कुछ जैसे वर्दी, पुस्तक सामग्री उनको आयोग के आगमन से दो दिन पूर्व ही उपलब्ध कराई गई |

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

5 : अनुसूचित जनजाति कल्याण बालक छात्रावास , आनंदपुर दुदरिया, गुमला

सुबह 11.30 बजे, आयोग के माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा और माननीय सदस्य श्री निरुपम चाकमा ने अनुसूचित जनजाति कल्याण बालक छात्रावास **उरांव हॉस्टल, लोहरदगा रोड, आनंदपुर दुदरिया, गुमला, झारखंड** का दौरा किया। दौरे के दौरान छात्रों ने बताया कि हॉस्टल में उपलब्ध बेड्स की संख्या छात्रों की आवश्यकताओं से काफी कम है, जिससे न केवल उनकी स्वच्छता और स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा हैं, बल्कि उनकी पढ़ाई और आराम के लिए भी स्थान की कमी हो रही है। आयोग ने दौरे के दौरान स्वच्छता की कमी और शौचालयों में सफाई की कमी देखी गई ।

अन्य समस्याओं में:-

1. टॉयलेट की संख्या आवश्यकता से कम है और साफ़ – सफ़ाई की स्थिति ख़राब पायी गई।
2. हॉस्टल में रसोईया उपलब्ध नहीं है जिसके कारण छात्र स्वतः अपना भोजन बना रहे है जिससे उनकी पढ़ाई और दिनचर्या प्रभावित हो रहा है।
3. बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है छात्रों को पढाई में बिजली की समस्या के कारण कई बाधाओ का सामना करना पढ़ रहा है।
4. बिस्तरों की संख्या छात्रों की आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए।
5. जो छात्र पुरानी इमारत में रह रहे हैं, उस इमारत की स्तिथि जर्जर है।
6. अनुशासन बनाए रखने के लिए वार्डन का हॉस्टल में रहना अनिवार्य होना चाहिए जो की वर्तमान में नहीं है।

5 : अनुसूचित जनजाति समाज के विभिन्न संगठनों के साथ बैठक

दोहपर 12.30 बजे **अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित संस्थाओ के प्रतिनिधियों, जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा गैर सरकारी संस्थाओ के प्रतिनिधियों** के साथ, जिले में निवासरत अनुसूचित जनजातियों की विभिन्न समस्याओं, राज्य सरकार / केंद्र सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन, शिक्षा, सवास्थ्य तथा रोजगार से संबंधित प्रकरणों पर चर्चा की | बैठक के प्रतिभागियों की सूची संलग्नक-2 पर हैं।

1.1 अनुसूचित जनजाति के संस्थाओ, समुदाय और सामाजिक कार्यकर्ताओ के साथ के साथ बैठक आहूत की गई।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

5. बैठक प्रारंभ होने से पूर्व, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों, जनजाति समुदायों के प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने माननीय सदस्यों का स्वागत किया और अपना परिचय दिया।

6. बैठक में उपस्थित लोगों ने अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा, सुरक्षा तथा विकास से संबंधित समस्याओं पर अपनी अपनी बात रखी। बैठक में उठाये गए मुख्य बिन्दु निम्लिखित है:-

चैनपुर प्रखण्ड के बारडीह पंचायत के घुसरी, केरागानी, कोचगानी, कोल्दा, कुईयो, कुरकुनिया, मडवा, राघाडीह, सीविल, सोकराहातु, तबेला, ऊपरी डुमरी गाँवो में सड़क, विद्यालय और बिजली का आभाव है | चैनपुर प्रखण्ड के बामदा पंचायत के कुरुमगढ़ गाँव में उच्च विधालय में केवल 4 अध्यापक है 500 के लगभग छात्रों के लिए कम है और विधायल की ईमारत जर्जर अवस्था में है | चैनपुर प्रखण्ड के बामदा पंचायत के ओडामड, चंदगो, मनातू और जरागी गाँवो में पीने का पानी और रोड़ का आभाव है | चैनपुर प्रखण्ड के बामदा पंचायत के पकनी गाँव में आँगनवाडी नहीं है | कोटाम गाँव में लैम्प्स ख़राब है | डुमरी प्रखण्ड के नावाडीह पंचायत के छोटा लोरो, बड़ा लोरो कई गाँव में रोड़ और पानी का आभाव है | गुमला प्रखण्ड के कतरी पंचायत के कतरी महुआ टोली से डांड टोली से नवा टोली चौक तक गाँव में रोड़ का अभाव है | जिले – गुमला के कई प्रखण्ड में सरना स्थल, आबुआ आवास और जल पुनर्भरण टैंक(परकुलेशन टैंक) की योजनों का लाभ देने के लिए अनुसूचित जनजाति के लोगों से रिश्वत मांगी जा रही है और प्रतिशत भी रखा गया है। पेंशन योजना में 60 वर्ष से अधिक को प्राथमिकता ना दे कर 50 वर्ष से अधिक आयु वालो को दी जा रही है। जिले में स्थानीय भाषा में पढ़ाने वाले अध्यापको की संख्या कम है | अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए नए छात्रावासों का जिले में निर्माण जिससे छात्रों को पढाई और रहने में सुविधा हो क्योंकि वर्तमान में जो छात्रावास है उसमे बेड्स आवश्कताओ से काफी कम है। गुमला जिले में खड़िया जनजाति के लोगो के संख्या एक लाख के से अधिक है फिर भी उस भाषा में पढ़ाने वाले अध्यापक केवल 2 है यह आवश्यकता से काफी कम है | **अनुसूचित जनजाति की लडकियों के साथ गैर अनुसूचित जनजाति (विस्थापित बांगलादेशी) के लोगों द्वारा शादी कर अनुसूचित जनजाति की लड़की के नाम से भूमि, और उनको जनप्रतिनिधि बनाकर व्यक्तिगत और अन्य लाभों का इस्तेमाल कर अन्य अनुसूचित जनजाति के लोगो के अधिकारों का हनन कर रहे है। गैर आदिवासी से शादी हुई लड़कियों का जाति प्रमाण पत्र उनके पति के घर से बने।**

7. उपरोक्त बैठक के बाद दिनांक 05.07.2024 को माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा और माननीय सदस्य श्री निरुपम चाकमा के द्वारा उपायुक्त (DC) जिला गुमला, को बैठक के संदर्भ में सूचना होने के उपरांत भी बैठक में उपस्तिथि न होने के कारण आपत्ति जताई तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक, जिला गुमला एवं जिला प्रशासन, गुमला के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न की गई। जिला के अधिकारीयों, तथा पुलिस अधीक्षक जिला गुमला ने माननीय सदस्यों का स्वागत किया। माननीया सदस्य महोदय ने श्री सूरत सिंह, निर्देशक, (एन.सी.एस.टी.) एव आर. के. दुबे, उप निर्देशक (एन.सी.एस.टी.) तथा आयोग के अन्य अधिकारियों का परिचय कराया तथा जिला प्रशासन से उपस्थित अधिकारियों से स्वयं का परिचय देने का आग्रह किया। जिला अधिकारी तथा उपस्थित अन्य अधिकारियों एवं पदाधिकारियों ने स्वयं का परिचय दिया।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

1.2 जिला गुमला के जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक आहूत कि गई।

इसके उपरांत सक्षम आधिकारी द्वारा आयोग द्वारा भेजी गयी समीक्षा हेतु प्रश्नावली की सूचना उपलब्ध कराई तथा पॉवर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से भी अवगत कराया। जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना में, जिले में अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा से संबंधित, छात्रावासों (लड़के एवं लड़कियों), छात्रवृति (Pre-Metric एवं Post-Metric) की जानकारी, कृषि कार्यों से संबंधित जानकारी, जिले में रोजगारों की स्थिति, जनजातीय वित्तीय निगम विभाग, जिला परिषद् द्वारा किये जा रहे कार्य (जिनमे आवास एवं भूखंड का आबंटन), रसद विभाग द्वारा दिए जा रहे कार्य, चिकित्सा विभाग, उपायुक्त कार्यालय द्वारा किये जा रहे कार्य, जिला पुलिस द्वारा किये जा रहे कार्य, महिला एवं बाल विकास विभाग, टी.ए.डी/ वन विभाग/ राजिविका, सहकारी समिति खनिज विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की परंतु आयोग द्वारा जिले के सभी विभागों से अनुसूचित जनजाति से संबंधित योजनाओ और उनका आवंटन से सम्बंधित आकड़ो के बारे में सुचना मांगी गई जिसके ऊतर में किसी भी विभाग ने अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित विस्तृत आकड़े आयोग के समक्ष प्रस्तुत नही किये।

जिला की समीक्षा बैठक में प्रत्येक विभाग से जानकारी मांगी गई और जिन आंकड़ों की उपलब्धता नहीं थी, उन्हें आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया
निरीक्षण मे जो जानकारी उप्लबध कराई गई वह निम्नलिखित है :-

- **शिक्षा विभाग :** जिला शिक्षा पदाधिकारी, गुमला के द्वारा बताया गया कि गुमला जिले के अन्तर्गत उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय एवं +2 राज्य विद्यालय कुल 1331 संचालित है। जिसमें कुल 4514 शिक्षक है एवं अनुसूचित जनजाति के कुल 1486 शिक्षक है। जिला अन्तर्गत कुल 12 संकुल है। इस दौरान वे यह नही बता पाए की जिले में ड्रॉप आउट छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है
- **स्वास्थ्य विभाग :** असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गुमला के द्वारा बताया गया कि जिला अन्तर्गत कुल 09 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में नर्से भ्रमण करती है। जिले में ममता वाहन कुल 70 एवं एम्बुलेंस (108) 12, जी०एन०एम० - 32 एवं ए०एन०एम० 270 है। कुल चिकित्सको के 256 स्वीकृत पद के विरूद्ध 113 और सदर अस्पताल, गुमला में चिकित्सक कुल 51 स्वीकृत पद के विरूद्ध 14 कार्यरत है।
- **कल्याण विभाग :** जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला गुमला के द्वारा बताया गया कि जिले के अंतर्गत कुल 12 आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 07 आवासीय विद्यालयों का संचालन विभाग स्तर से और 06 आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। जिले के अंतर्गत कुल 25 कल्याण छात्रावास संचालित हैं, जिनमें 16 बालकों के लिए और 09 बालिकाओं के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 19 छात्रावास संचालित हैं। छात्रवृत्ति का भुगतान संबंधित छात्र-छात्राओं के बैंक खातों के माध्यम से किया जा रहा है, और वर्ग 01 से 02 के जिन छात्र-छात्राओं के बैंक खाते नहीं हैं, उनके अभिभावकों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जा रहा है।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

- **<u>समाज कल्याण</u> :** विभाग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गुमला के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना संचालित है। जिला अन्तर्गत कुल 1670 आँगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। जिसमें कुल 1655 सेविका एवं 1436 सहायिका है। कुल 1344 आँगनबाड़ी केन्द्र भवन है, 199 आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माणाधीन है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी 01 है, शेष 11 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के प्रभार में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में आँगनबाड़ी केन्दों में खेल सामग्री उपलब्ध करा दिया गया है। सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को पोषाहार दिया जा रहा है एवं गर्भवती महिलाओं को फुड पैकेट दिया जा रहा है।
- **<u>सामाजिक सुरक्षा विभाग</u> :** जिले में कुल पेंशनधारियों की संख्या 147773 है। जिसमें से अनुसूचित जनजाति के पेंशनधारियों की संख्या 100408 है।
- **<u>मनरेगा</u> :** बिरसा कूप योजना के तहत कुल 3,976 कूप में से 2,175 कूप का निर्माण कार्य भौतिक रूप से पूर्ण कर लिया गया है। जिसमें से 2,297 कूप अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को स्वीकृत किया गया है। बिरसा कूप योजना के तहत जॉब कार्ड कुल 141000 संचालित है।इस दौरान यह नही बताया गया की ST गर्भवती महिला, दिव्यांगजन व् ५० वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओ को कितने जॉब कार्ड जारी हुए है
- **<u>श्रम विभाग</u> :** श्रम अधीक्षक, जिला गुमला के द्वारा दिनांक 30.06.2024 तक कुल निबंधित कर्मकारों की संख्या 38,495 है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के 14,582 कर्मकार हैं। असंगठित कर्मकारों की कुल संख्या 40,777 है, जिनमें 23,890 महिलाएँ और 15,900 पुरुष हैं, तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मकारों की संख्या 25,427 है।
- **<u>गव्य विकास विभाग</u> :** वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत कुल 157 लाभुकों को गायपालन/गोशाला का लाभ दिया गया है।
- **<u>कृषि विभाग</u> :** वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक कुल 150,534 कृषकों में से अनुसूचित जनजाति के 77,925 कृषकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है। जिले में कृषि योग्य भूमि 2,35,000 हेक्टेयर है। कृषकों के बीच कुल 1,170.79 क्विंटल धान बीज का वितरण किया गया है, जिसमें से 6,000 क्विंटल धान बीज अनुसूचित जनजाति के कृषकों के बीच वितरित किया गया है।
- **<u>वन विभाग</u> :** जिला कल्याण पदाधिकारी, गुमला के द्वारा बताया गया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत कुल 1,930 पट्टे वितरित किए गए हैं, जिनमें से 1,889 व्यक्तिगत लाभुक हैं और 41 सामुदायिक वनपट्टा के लाभुक हैं। दावेदारों के दखल कब्जा नहीं पाए जाने और साक्ष्य की कमी के कारण कुल 91 दावा पत्र अस्वीकृत किए गए हैं।
- **<u>मत्स्य विभाग</u> :** वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक कुल 150,534 कृषकों में से अनुसूचित जनजाति के 77,925 कृषकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है। जिले में कुल 365 तालाब हैं, जिनका विज्ञापन के माध्यम से निविदा किया गया है।
- **<u>उद्योग विभाग</u> :** महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, गुमला के द्वारा बताया गया कि 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक PMEGP के तहत कुल 13 अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को लाभान्वित किया गया है।
- **<u>आपूर्ति विभाग</u> :** जिला आपूर्ति प्राधिकारीगण जिला गुमला के द्वारा जिला अन्तर्गत कुल 730 जन वितरण प्रणाली का दुकान संचालित होने एवं 169000 लाभुकों की जानकारी दी गई, **जिसमें अनुसूचित जनजाति के महिला/पुरुष को आवंटित दुकानों की संख्या एवं लाभुकों की संख्या स्पष्ट नहीं किया गया।**
- **<u>जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला</u> :** प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 53436 आवास स्वीकृत था। जिसमे से 52329 आवास निर्माण कार्य पूर्ण है। अनुसूचित जनजाति के कुल 34791

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

लाभुक है। 33991 आवास पूर्ण है, प्लींथ लेवल में 800 आवास है। अबुआ आवास का लक्ष्य 7663 स्वीकृत है, जिसमें 6651 आवास के लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान किया जा चुका है।

- **भूमि संरक्षण विभाग :** भूमि संरक्षण पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि तालाब जीर्णोद्धार, में भौतिक लक्ष्य 67 के विरूद्ध 52 तालाब का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण का लिया गया है। जिसमें से 41 लाभुक अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। परकोलेशन टैंक निर्माण भौतिक लक्ष्य 139 के विरूद्ध 132 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें 99 लाभुक अनुसूचित जनजाति के सदस्य है।
- **खनन विभाग :** जिला खनन पदाधिकारी, गुमला के द्वारा कुल 28 लीज होने की जानकारी दी गई। जिसमें से प्रखण्ड गुमला एवं सिसई के 04 अनुसूचित जनजाति के लाभुक है। बॉक्साइड का खनन हिन्डाल्को कम्पनी के द्वारा किया जा रहा है।
- **पुलिस विभाग :** पुलिस अधीक्षक, जिला गुमला द्वारा जिला अन्तर्गत कुल 18 थाना एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति थाना 01 तथा AHU थाना 01 होने की जानकारी दी गई साथ ही वर्ष 2020 में 29 मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम से संबंधित कुल 20 मामला में चार्जशीट दाखिल किया गया है एवं वर्ष 2021 में 12 मामलों में से 11 मामलो में चार्जशीट दाखिल किया गया है।

9. **आयोग की अनुशंषाएः-**

1. **शिक्षा विभाग :** सभी संकुलों में बच्चों के कौशल विकास के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिताओं और ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित करें , बच्चों को ड्रॉपआउट रोकने (इससे संबंधित प्रमाणित आंकड़े आयोग को प्रस्तुत करे), खेल-कूद का आयोजन कराने, प्रखंड स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, कुरूमगढ़ और चैनपुर में अवस्थित विद्यालय भवनों को ठीक कराने, नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी पर 1 उच्च विद्यालय का प्रस्ताव विभाग को भेजने, और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में संचालित प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च विद्यालयों एवं उनमें कार्यरत नियमित/अनियमित शिक्षकों में कितने अनुसूचित जनजाति के शिक्षक हैं, से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध करवाये। चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ से कोतम होते हुए टोटी में 15-20 KM तक कोई विद्यालय नही है टोटो-कोटान और जारी के बीच 1 नया उच्च विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाये।
2. **आपूर्ति विभाग**

2.1 चैनपुर प्रखंड के अंतर्गत पंचायत बरवाडीह में कुल 15 राजस्व ग्राम हैं, जिनमें बिजली, पानी और सड़क की नितांत आवश्यकता है। उक्त पंचायत के ग्रामों में आदिम जनजाति के परिवार भी निवास करते हैं, और उनके विकास के लिए न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार द्वारा कोई योजना संचालित की गई है। गाँव के सामाजिक प्रतिनिधियों का कहना है कि सभी संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारियों की एक टीम गठित की जाए, जो स्थलीय जांच कर कार्य योजना तैयार करे और विकास कार्य को सुनिश्चित करे।

2.2 जन वितरण प्रणाली की दुकानों में राशन का वितरण ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त ग्रामों में बिजली और सड़क की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, और बरसात का समय भी नजदीक आ रहा है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन माध्यम से राशन वितरण में कठिनाई हो सकती है। इसलिए, वर्तमान में 03 महीने की अवधि के लिए सभी संबंधित कार्डधारियों को राशन का वितरण ऑफलाइन के माध्यम से करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। चैनपुर प्रखंड के अंतर्गत कुरूमगढ़ क्षेत्र में जन वितरण प्रणाली की दुकानों में राशन की आपूर्ति हो रही है या नहीं, इसकी स्थलीय जांच की जाए।

2.3 सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों में अच्छी व्यवस्था बनाने हेतु सूचित करने तथा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी जन वितरण प्रणाली के दुकानों में राशन वितरण की स्थलीय जाँच 02 दिनों के अन्दर करते हुए राशन वितरण में होने वाली समस्या का निराकरण कराना सुनिश्चित किया जाये।

3. **स्वास्थ्य विभाग :** वर्तमान में बरसात के मौसम को देखते हुए जी.एन.एम. के माध्यम से ए.एन.एम. को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि सामान्य बीमारियों के उपचार के लिए दवाइयों का वितरण सुनिश्चित किया

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

जा सके। सभी ओ.पी.डी. में अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोस्टर के अनुसार सूचनापट और विज्ञापन के माध्यम से हिंदी में प्रचार-प्रसार किया जाए। क्षेत्र भ्रमण के लिए चिकित्सकों और अन्य स्टाफ का रोस्टर के माध्यम से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

4. **समाज कल्याण** : प्रखंड चैनपुर के अंतर्गत पंचायत बारडीह के ग्राम रोरेत और पाकरटोली, तथा पंचायत सकरी के ग्राम सकी में आंगनबाड़ी केंद्र भवन उपलब्ध नहीं हैं। प्रखंड सिसई के अंतर्गत ग्राम तेतरबिरा में 02 केंद्रों की आवश्यकता है, लेकिन केवल 01 केंद्र का चयन किया गया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, एक सप्ताह के भीतर जिले के उन क्षेत्रों की स्थलीय जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया जाए जहां आंगनबाड़ी केंद्र नहीं हैं और उनके आंकड़े उपलब्ध कराए जाएं। अंचल अधिकारी सह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गुमला तेलगांव में कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इसकी जानकारी प्राप्त कर आयोग को उपलब्ध कराये। साथ ही, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गुमला जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण करें।

5. **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला** : आयोग के सदस्यों द्वारा अबुआ आवास योजना में प्रथम किस्त का भुगतान के पूर्व रिश्वत की मांग लाभुकों से कि जा रही है। इसकी जाँच 3rd पार्टी द्वारा कराकर आवश्यक कार्रवाई करने एवं लाभुकों को आवास निर्माण हेतु बालू उठाव में किसी तरह की परेशानी न हो इस निमित जारी किये जाये और आदेश की प्रति आयोग को उपलब्ध कारवाई जाये।

6. **भूमि संरक्षण विभाग** : लोहरदगा रोड, गुमला में मुख्य सड़क से 10 फीट अंदर परकोलेशन टैंक का निर्माण किया जा रहा है। तालाब निर्माण के लिए लाभुकों से 3 प्रतिशत राशि की मांग की जा रही है, और निर्माण पूरा होने के बाद 26% राशि की मांग की जाएगी। इसकी जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराए।

7. **खनन विभाग** : DMFT मद में प्राप्त राशि से ग्राम इंटकिरी से ग्राम भैंसबथान तक लगभग 60 किलोमीटर की खराब सड़क, जिससे लगभग 250 से 300 गाँव प्रभावित हैं, की प्राथमिकता से मरम्मत कराई जाए। यदि पथ प्रमंडल द्वारा इस सड़क के निर्माण हेतु प्रकलन 85 करोड़ का बनाया था तो इसका स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

8. **सामाजिक सुरक्षा विभाग** : जिला गुमला में 50 से 60 वर्ष की आयु के सभी लाभुकों का डोर टू डोर जाकर पेंशन योजना का लाभ दिलवाया जाए, और 60 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन लाभुकों को प्राथमिकता दी जाए।

8.1 **कल्याण विभाग** : आयोग द्वारा गुमला शहर में बालिकाओं के लिए 200 शैय्या वाला छात्रावास निर्माण कराने और छात्रावासों में संबंधित शैक्षणिक संस्थान के शिक्षक/शिक्षिका/प्रोफेसर को वार्डन नियुक्त किया जाए। आवासीय विद्यालयों में पोशाक और पठन-पाठन के लिए स्वीकृत राशि की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, छात्र-छात्राओं के लिए मूलभूत सुविधाएं और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, और महिला कर्मियों के आवास की सुविधा सुनिश्चित की जाए। अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, चापाटोली विशुनपुर में 3 मंजिला 300 शैय्या वाला नया छात्रावास और गुमला शहर में 3 मंजिला 500 शैय्या वाला वर्किंग महिलाओं के लिए नया छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाए। शमशान घाट, धुमकुडीया, बिरसा हरित योजना, बिरसा कूप और अम्बेडकर आवास, साईकिल वितरण की पूरी जानकारी आयोग को दी जाए साथ ही यह भी बताये की इनसे ST समुदाय के लाभुक कितने है।

8.2 **राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय चापातोली, बिशुनपुर:** - शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालय में कुल 3 नियमित शिक्षक/शिक्षिकाएं, प्रधानाध्यापक सहित, और घंटी आधारित 10 शिक्षक/शिक्षिकाएं हैं, जो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। शिक्षकों पद विद्यालय मे संख्या 17 है जो पूरी भरी जाए। छात्रावास की स्थापना विद्यालय की स्थापना 07 मार्च 1967 ई. के साथ हुआ था, लेकिन नई इमारत का निर्माण न कर केवल पुरानी इमारत की मरम्मत हो रही है। एक कमरे में अत्यधिक छात्राओं को ठहराया जा रहा है, जिससे उनकी स्वच्छता, स्वास्थ्य, पढ़ाई और आराम प्रभावित हो रहे हैं। नई इमारत के निर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाए। अन्य समस्याओं में आवासीय परिसर में महिला शिक्षक की आवश्यकता है, क्योंकि प्रधानाध्यापक और एक अन्य शिक्षक दोनों ही पुरुष हैं। इससे छात्राओं की सुरक्षा और भलाई पर बेहतर ध्यान दिया जा सकेगा, अपर्याप्त शौचालय,

आशालकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

सुरक्षा गार्ड की कमी, खराब पीने के पानी की स्थिति और छात्रों के लिए बिस्तर की कमी शामिल हैं। उपरोक्त सभी समस्याओ का जल्द से जल्द निवारण सुनिश्चित किया जाए।

8.3 **उराँव हॉस्टल, लोहरदगा रोड, आनंदपुर दुंडुरिया, गुमला :** टॉयलेट की संख्या बढ़ाई जाए और साफ-सफाई का ध्यान रखा जाए, हॉस्टल में कुक उपलब्ध किया जाए जिससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाला भोजन मिल सके, बिजली की व्यवस्था ठीक करवाई जाए, बिस्तरों की संख्या छात्रों की आवश्यकता अनुसार की जाए, जो छात्र पुरानी इमारत में रह रहे हैं, उस इमारत की मरम्मत होनी चाहिए, और अनुशासन बनाए रखने के लिए वार्डन का हॉस्टल में रहना अनिवार्य की जाए।

9. **श्रम विभाग :** श्रम अधीक्षक, गुमला सभी संगठित / असंगठित कर्मकारों का निबंधन किया जाय एवं ग्राम पंचायत अध्यक्ष एव सदस्य के माधायम से इस निमित प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित किया जाय।

10. **उद्योग विभाग :-** टाईफेड से समन्वय स्थापित करते हुए अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को रागी से बने उत्पाद, जामुन सिरका आदि का उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करे। साथ ही राज्य से बाहर पढ़ने के लिए जाने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को LDM गुमला से समन्वय स्थापित करते हुए उनकी योग्यता के अनुसार ऋण की राशि उपलब्ध कराये। इन्टरपेन्योरसीप व्यवसाय के लिए गुमला जिला में NST Development Financial Corporation से समन्वय कर जिला एवं व्यवसाय हेतु ऋण व्यवस्था की जाए।

11. **मनरेगा :** कूप निर्माण में लाभुकों से राशि की माँग की शिकायत की जाँच की जाए और आयोग को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। मनरेगा के अंतर्गत लाभान्वित गर्भवती महिलाओं की संख्या और वृद्ध महिलाओं की संख्या के आंकड़े आयोग को उपलब्ध कराएं। कुएँ द्वारा लाभान्वित अनुसूचित जनजाति से संबंधित लाभुकों के आंकड़े आयोग को उपलब्ध कराएं।

12. **वन विभाग** - दावेदारों का दखल कब्जा नहीं पाये जाने तथा साक्ष्य की कमी के कारण कुल 91 दावा पत्र अस्वीकृत किए गए इन सभी के कारण की रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कि जाएं । प्रखण्ड बिशुनपुर अन्तर्गत ग्राम लसटांड में सामूहिक खेती यथा - गन्ना, तरबूज आदि की खेती उक्त ग्राम के लोग करते है, जिन्हें वन पट्टा का लाभ उनकी योग्यता के अनुसार दिया जाए।

13. **कृषि विभाग** - Food processing के तहत कृषकों में प्रोत्साहन एवं Trifed के माध्यम से उपज की बिक्री करने का निर्देश दिया गया।

14. **गव्य विकास विभाग :** लाभुकों में से अनुसूचित जनजाति के कितने लाभुक है एवं डेयरी का सुविधा कितने लाभुकों के पास उपलब्ध है, से संबंधित प्रतिवेदनों के आंकड़े आयोग को उपलब्ध कराये और ऐसे पशुओं का वितरण किया जाए जो स्थानीय नस्ल के हों और पर्यावरण के अनुकूल हों।

15. **मत्स्य विभाग :** अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति परिवारों के लाभुकों को मत्स्यपालन योजना से लाभान्वित करने के लिए ग्राम पंचायत एव पंचायत सदस्य द्वारा प्रचार – प्रसार किया जाए। जिस ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब नहीं हैं, वहाँ विभाग द्वारा क्या प्रयास किए गए, इसकी जानकारी आयोग को उपलब्ध कराई जाए।

16. **पुलिस विभाग** - जिला के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार से संबंधित कोई भी मामला आने पर उक्त मामला पर अविलंब आवश्यक कार्रवाई करने हेतु पास के थाने मे कार्रवाई की जाए बाद मे वह शिकायत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति थाने के माध्यम से आगे भेजी जाए। साथ ही Trafficking का मामला उत्पन्न न हो उस निमित बाहर काम करने जाने वाले व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन संबंधित थाना में करने एवं पी०सी०आर० की व्यवस्था प्रखण्ड की संख्या के अनुसार हो जिससे क्राइम पर रोकथाम हो सके तथा आंजन में एक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल या 01 पुलिस पिकेट स्थापना की जाए। अनुमण्डल स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण समिति का गठन करें एवं जिला स्तरीय समिति का प्रत्येक 3 माह में बैठक ।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

बैठक के सफल आयोजन के उद्देश्य से, सभी विभाग अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए क्रियान्वित योजनाओं की स्थिति की जानकारी प्रदान करें। अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से संबधित शिकायत वह खुद और गैर – अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के द्वारा भी आयोग को दी जा सकती है, शिकायत आयोग को लिखित रूप मे आयोग के मुख्य कार्यालय, दिल्ली और क्षेत्रीय कार्यालय कही भी भेज सकते है और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए NCSTGRAMS.GOV.IN पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते है। इसके अतिरिक्त, जिलों में जिला शिकायत निवारण सेल का गठन करना सुनिश्चित किया जाए ताकि शिकायतों का त्वरित समाधान संभव हो सके। साथ ही, जिन विभागों के पदाधिकारी बिना पूर्व सूचना के बैठक में अनुपस्थित थे, उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करें और आवश्यक कार्रवाई करने के बाद आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आशा लकड़ा
26/09/2024

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi